राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक 1(11) ग्रावि/नरेगा/सू.अ.अ./2010 जयपुर, दिनांकः–

11 MAR 2010

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में।**

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम को शब्द और भावना दोनों स्तरों पर पालना किये जाने का प्रावधान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में योजना से सम्बन्धित जानकारियां तत्काल जनता को उपलब्ध कराये जाने एवं सूचनाओं की स्वघोषणा का प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

- योजनान्तर्गत अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक लोक सूचना अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक अपील अधिकारी होंगे।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर निम्नांकित सूचनाऐं आवश्यक रूप से अंकित कराई जावे एवं इस सूचना कों प्रत्येक माह की 5 एवं 20 तारीख को अपडेट की जावे :–
  - ➢ पंजीकृत परिवारों की संख्या।
  - ➢ जारी जॉब कार्डो की संख्या।
  - ➢ प्रगतिरत कार्यो की संख्या।
  - ➢ चालू पखवाडे के दौरान नियोजित परिवारों की संख्या।
  - ➢ चालू पखवाडे के दौरान रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या।

➢ चालू **वित्तीय** वर्ष के दौरान रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या।

➢ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि श्रम............, सामग्री................ योग.................... ।

- प्रत्येक ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह में एक बुकलेट छपवाई जावे जिसमें उस तिमाही तक की पूर्ण जानकारी यथा कुल जारी जॉब कार्डो की संख्या, रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या, रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या, जॉब कार्डवार उपलब्ध कराये गये रोजगार दिवसों एवं भुगतान की सूचना, कार्यवार व्यय की श्रम व सामग्री सहित सूचना आदि का समावेश हो। यह बुकलेट सम्बन्धित ग्राम पंचायत के पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुऐ प्रतिनिधि, सम्बन्धित विधायक एवं सांसद तथा रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाहे जाने पर सशुल्क सूचना उपलब्ध करवाई जावे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के अंदर पूर्ण वित्तीय वर्ष की उक्त सूचना की बुकलेट तैयार करवाई जावे।

उक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

11/3/10

(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस